सत्यमेव जयते

| राजस्थान राज–पत्र साधारण | RAJASTHAN GAZETTE Ordinary |
|---|---|
| साधिकार प्रकाशित | **Published by Authority** |

जिल्द 77 श्रावण 30, गुरुवार, शाके 1947–अगस्त 21, 2025 अंक 21
Vol. 77 Sravana 30 , Thursday, Saka 1947–August 21, 2025 No. 21

**भाग 7**

**विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।**

## नाम/उपनाम/सरनेम परिवर्तन करने का बन्ध–पत्र

**[नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, वित्त विभाग के आदेश सं.एफ.1/12/एफ.डी.ई.आर.187, दिनांक 10–4–57 की अनुपालना में]**

इस बन्ध–पत्र द्वारा मैं, निम्न हस्ताक्षरकर्ता मोहम्मद अली शेख (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व मोहम्मद अली (पुराना नाम) कहलाता था एवं जो वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान (संबंधित राज्य कर्मचारी द्वारा उस समय धारित किए गये पद का नाम) के रूप में मोहम्मद अली शेख/रा.उ.मा.वि. गोदारों की ढाणी बालाजी नगर, लूणी (स्थान जहां राज्य सरकार के विभाग में नियुक्त हो) पर नियुक्त था, एतद्द्वारा :–

1. स्वयं तथा मेरी पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हों, मेरे पूर्व नाम मोहम्मद अली उपनाम.....(सिर्फ) को त्यागता हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम मोहम्मद अली शेख तथा उपनाम शेख ग्रहण करता हूँ एवं इसलिए मैं, मेरी पत्नी, बच्चे, दूर के बच्चे एतद्द्वारा मेरे पूर्व उपनाम मोहम्मद अली (केवल) से न जाने जाएं तथा पहचाने जाएं बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम मोहम्मद अली शेख द्वारा जाने जाएं।
2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता हूँ कि मैं एतद्पश्चात् सभी समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, बंध–पत्रों, प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों एवं लेन–देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम मोहम्मद अली तथा उपनाम मोहम्मद अली (सिर्फ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में मोहम्मद अली शेख नाम के रूप में तथा मोहम्मद अली शेख उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा एवं हस्ताक्षर करूंगा।
3. स्पष्टतः एतद्पश्चात् तथा सभी समय, सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, दूर के बच्चों को तद्नुसार नये रखे नाम मोहम्मद अली शेख तथा मोहम्मद अली शेख के नाम से सम्बोधित करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ तथा उसके लिए निवेदन करता हूँ।

इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम मोहम्मद अली तथा मोहम्मद अली शेख का वर्णन किया है तथा दिनांक 10.07.2025 को हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम मोहम्मद अली शेख द्वारा जो पूर्व में मोहम्मद अली कहलाता था, हस्ताक्षर किये हैं।

साक्षी :–

1. Neelam Dadhich, व.अ.,रा.उ.मा.वि. गोदारों की ढ़ाणी, बालाजी नगर, लूणी।
2. मंजु चौधरी, व.अ.रा.उ.मा.वि. गोदारों की ढ़ाणी, बालाजी नगर, लूणी।

मोहम्मद अली शेख
हस्ताक्षर
नया नाम : मोहम्मद अली शेख
पुराना नाम : मोहम्मद अली

**प्रतिहस्ताक्षर**
**राजेश कुमार चौधरी**
**प्रधानाचार्य**
**रा.उ.मा.वि. गोदारों की ढाणी, बालाजी नगर, लूणी (जोधपुर)**
**DDO CODE-40248, NIC ID-407233**
**DISE-08150813603**
**11063**

**राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।**